कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री बन्शीधर हार्डवेयर प्रा0 लि0, के-66 / 74, लोहतिया, वाराणसी।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**091 / 11, 03.10.2011**
प्रार्थी की ओर से	**श्री वीरेन्द्र कुमार खन्ना, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री बन्शीधर हार्डवेयर प्रा0 लि0, के-66 / 74, लोहतिया, वाराणसी द्वारा दिनांक 03.10.2011 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह कहा है कि कृषि यन्त्रों का निर्माण व बिक्री किया जाता है तथा प्रान्त बाहर से Galvanized Iron Sheet का आयात किया जाता है तथा दिनांक 01.04.2011 से 5% की दर से प्रवेश कर विज्ञप्ति संख्या-422, दिनांक 31.03.2011 के अनुपालन में जमा किया जा रहा है। कृषि यन्त्रों के निर्माण के क्रम में कुछ बचे हुए Galvanized Iron Sheet के टुकड़ों को आयरन स्क्रैप के रूप में बिक्री किया जाता है जिस पर 4% की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए जमा किया जाता है। प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है कि शासन की रिबेट विज्ञप्ति संख्या-418, दिनांक 31.03.2011 के अन्तर्गत Galvanized Iron Sheet के आयात के समय जमा किये गये प्रवेश कर का रिबेट आयरन स्क्रैप की बिक्री पर देय वैट कर के विरूद्ध मिलेगा अथवा नहीं।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री वीरेन्द्र कुमार खन्ना, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि शासन की विज्ञप्ति संख्या-418, दिनांक 31.03.2011 में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में वर्णित आयरन एण्ड स्टील की खरीद व बिक्री पर बनने वाले वैट कर के सापेक्ष आयातित Galvanized Iron Sheet पर देय प्रवेश कर का रिबेट प्रार्थी को नियमानुसार मिलना चाहिए।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-प्रथम, वाराणसी द्वारा पत्र संख्या-2067, दिनांक 03.11.2011 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में यथा परिभाषित लोहा एवं इस्पात की खरीद / बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा संदेय कर की सीमा तक ऐसे माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर उद्ग्रहणीय कर से छूट प्रदान की गयी है, लेकिन विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2 / 422 / 11-9 (1) / 08 उ0 प्र0 अधि0-30-2007-आदेश-(72)-2011 लखनऊ, दिनांक 31 मार्च, 2011 से आयरन स्क्रैप पर प्रवेश कर की देयता नहीं रह गयी है। व्यापारी द्वारा यदि करमुक्त माल का निर्माण किया जाता है तो Galvanized Iron Sheet की खरीद पर जो प्रवेश कर दिया गया है उसकी छूट आयरन स्क्रैप की बिक्री पर अदा किये गये वैट के विरूद्ध अनुमन्य नहीं है, क्योंकि जिस वस्तु का आयात किया जा रहा है उस वस्तु की बिक्री नहीं की जा रही है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी के प्रकरण में चूँकि आयातित माल की बिक्री पर

...2

कोई वैट कर देय नहीं है तथा बेचा गया माल आयात किये गये माल से भिन्न है । अत: इस मामले में कोई रिबेट अनुमन्य नहीं होना चाहिए । यह भी कहा गया कि रिबेट की देयता से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) से आच्छादित नहीं है । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

अत: रिबेट से सम्बन्धित प्रश्न धारा-59 (1) के प्राविधानों से आच्छादित नहीं है । प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-प्रथम, वाराणसी द्वारा प्रेषित आख्या का परिशीलन किया गया । पाया गया कि प्रार्थी के द्वारा प्रवेश कर के रिबेट से सम्बन्धित पूछा गया प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59(1) के प्राविधानों से आच्छादित नहीं है । अत: धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 29 मार्च, 2014

ह0 / 29.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।